शासकीय संगणक केन्द्र, मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1986[1]

1. संक्षिप्त नाम

2. प्रयुक्ति

3. वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि

4. व्यावृत्ति

- अनुसूची

शासकीय संगणक केन्द्र, मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1986[1]

क० 918-2655 तेईस-आसां-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतदद्‌वारा, शासकीय संगणक केन्द्र, मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर भर्ती तथा सेवा की शर्तो का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम-ये नियम शासकीय संगणक केन्द्र, मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1986 कहलायेंगे ।

2. प्रयुक्ति-ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम एक में निदिष्ट पदों के प्रत्येक सदस्य के लिये लागू होंगे ।

3 वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि-उल्लेखित पदों का वर्गीकरण उनसे सम्बद्ध वेतन- मान, पदों पर भरती की प्रक्रिया, आयु सीमा एवं इन पदों से सम्बन्धित अन्य विवरण संलग्न अनुसूची कालम तीन से दस में दर्शाये गये विवरण के अनुसार होगा ।

4. व्यावृत्ति-इन नियमों में किये गये प्रावधान, नियमानुसार आरक्षण एवं अन्य शर्ते जो कि अनुसूचित जाति-अनुसुचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अनुकम्पा नियुक्ति एवं विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति, आदि जो कि राज्य शासन के आदेशों के द्‌वारा समय-समय पर प्रसारित किये जाते हैं, को प्रभावित नहीं करेंगे ।

अनुसूची

[नियम 2 देखिये]

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती की पद्धति सीधी भरती, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने पदों का प्रतिशत	सीधी भरती के लिए आयु	सीधी भरती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	सीधी भरती के लिए परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	क्या सीधी भरती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वालों पर भी लागू होगी	पदोन्नति/स्थानांतर द्वारा भरती की स्थिति में उन वेतनमानों/पदों का विवरण जिसमें पदोन्नति/ स्थानांतरण किया/दिया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. दफ्तरी	1	चतुर्थ श्रेणी	रुपये 400-5-425-10-545	पदोन्नति द्वारा	....	शासकीय मुद्रणालय भोपाल में बुक बाइंडिंग, नस्तियों की स्टिचिंग, डुप्लीकेटिंग यंत्रों को चलाने एवं उनके रख-रखाव में प्रशिक्षित होना आवश्यक होगा भृत्य जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण 60% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण किया हो उन्हें पदोन्नति के लिए पात्र माना जावेगा	...	...	अन्य विभागों के वे भृत्य जिन्होंने शासकीय मुद्रणालय भोपाल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में 60% या उससे अधिक अंकोसे उत्तीर्ण हुए हों को स्थानांतरित कर नियुक्ति दी जा सकेगी।
2. सुरक्षा गार्ड	4	तदैव	तदैव	सीधी भरती द्वारा	...	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण (भूतपूर्व सैनिक कोटा)	...	...	...
3. भृत्य	5	तदैव	380-5-425-10-515	सीधी भर्ती द्वारा	न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण	...	...	...